भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2898

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2017 को दिया गया)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय किए गए लाभ का प्रतिशत

2898. डा. सत्यनारायण जटिया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक द्वारा अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और
(ख) यदि हां, तो प्रत्येक द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर अपने लाभ का कितने प्रतिशत व्यय किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क): लोक उद्यम विभाग (डीपीई) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए नोडल विभाग है। डीपीई से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार के 43 मंत्रालयों/विभागों के तहत 251 पीएसयू कार्य कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त लाभ/ हुई हानि के ब्यौरे डीपीई की वेबसाइट (www.dpe.gov.in) पर '**सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2015-16**' शीर्ष के अंतर्गत पब्लिक डोमेन पर रखे गए हैं।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों के अनुसार, पात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का 2% व्यय करना अपेक्षित है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा दायर वार्षिक रिपोर्ट, जिसके आंकड़े कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समेकित किए गए हैं, के आधार पर उनका सीएसआर व्यय नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सीएसआर व्यय

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	उन कंपनियों की संख्या जिनके लिए आंकड़े समेकित किए गए हैं	निर्धारित सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	2014-15	226	3499	2497
2.	2015-16	172	2660	3360

*****